प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा।

सेवा में.

सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् शिक्षा केन्द्र—2, समुदाय केन्द्र प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांकः एन०ओ०सी० /

/2018-19 दिनांकः 19·12·2018

विषय:- लकी पब्लिक स्कूल, मैनपुरी रोड, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या—2762/15—13—91—4(46)/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 एवं राजाज्ञा संख्या—1916(1)/15—7—09—1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 सपठित शिक्षा निदेशक(मा0), उ०प्र० के पत्रांकःसा0(1)/शिविर/एन०ओ०सी०/7153/2009—2010 दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 के आलोक में एतदर्थ मण्डलायुक्त आगरा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 19.11.2018 में लिए गये निर्णय के क्रम में लकी पब्लिक स्कूल, मैनपुरी रोड, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापित प्रमाण—पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:—

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3— विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जन जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित

विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4— संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली / काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों

को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6— कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।

विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9— उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा—105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।

10— उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

11— विद्यालय/संस्था की कुल भूमि का क्षेत्रफल 7001.39 वर्गमीटर है, भूमि को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली के BYE-LAWS—2018 में निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य किया गया है। विद्यालय/संस्था को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली के BYE-LAWS—2018 में उल्लिखित प्राविधानों/शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित होगा।

(पी०टी०ओ०-2)

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापिस लिया जायेगा।

/ संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा। भवदीय ह0 / – (अनिल कुमार) आयुक्त / अध्यक्ष आगरा मण्डल, आगरा।

पृष्ठा०संख्याः एन०ओ०सी० / 7 013 - 19

/2018-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मण्डलायुक्त महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सचिव, (मा०शि०) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (७) अनुभाग, लखनऊ।
- 3- शिक्षा निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
- 5- जिला विद्यालय निरीक्षक, फिरोजाबाद।
- 6- प्रबन्धक, लकी पब्लिक स्कूल, मैनपुरी रोड, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

(अरविन्द/कुमार पाण्डेय) सदस्य सचिव एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, 3 आगरा मण्डल, आगरा।